



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 54056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2868 वर्ष 2025

दिनेश सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : हसीब आलम अंसारी, पंकज कुमार सिंह, शेख मोअज्जम इनाम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्र, भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी., गौरव कुमार सिंह, सरवम द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. निजी प्रतिवादियों की ओर से दाखिल संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शेख मोज्जम इनाम, निजी प्रतिवादी संख्या 6, 7, 12, 13 एवं 14 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा तथा प्रतिवादी ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
3. वर्तमान जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:-

“1. न्यायहित में प्रतिवादियों (विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3) को गाटा संख्या 315, 359, जो नवीन परती के रूप में दर्ज हैं तथा गाटा संख्या 409 एवं 416, जो चक मार्ग के रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दर्ज हैं, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

2. प्रतिवादियों को दिनांक 28.05.2022 के बेदखली के आदेश का अनुपालन करने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”

4. दिनांक 30.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“1. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत दाखिल अपील संख्या डी202514700004537 कलेक्टर के समक्ष लंबित है, अतः वर्तमान जनहित याचिका में की गई प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक स्वयं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही का सामना कर रहा है, अतः आवेदक के कहने पर वर्तमान जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

2. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि के संबंध में लंबित कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए शपथपत्र दाखिल करें।

3. इस मामले को दिनांक 16.02.2026 को नए वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।”

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि संबंधित गाटा की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि तथा उक्त गाटा के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली के आदेश को देखते हुए, उक्त आदेश का मौके पर अनुपालन कराया जाना चाहिए।

6. निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील जिलाधिकारी, वाराणसी के समक्ष लंबित है, अतः वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि के अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही लंबित है, अतः आवेदक की ओर से दाखिल जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. प्रत्युत्तर में आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, अतः वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।
9. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील जिलाधिकारी, वाराणसी के समक्ष लंबित है।
10. जहां तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 460 के अंतर्गत उसका उपाय प्रदान किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के अनुपालन/निष्पादन के लिए वर्तमान जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।
11. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील अभी निस्तारण हेतु लंबित है।
12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, वाराणसी को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील संख्या डी202514700004537 का संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

17 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।